

अनुदान संख्या 56 - प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग
GRANT No. 56-DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	4904,63,00		
पूरक	Supplementary	550,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			14,40,81
		5454,63,00	5437,15,54	-17,47,46

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	467071.00		
पू.	S.	55000.00	526504.46	526352.01
पु.	R.	4433.46		-152.45
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat—Social Services			
मू.	O.	2470.00		
पु.	R.	-53.50	2416.50	2262.32
				-154.18
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	20221.00		
पु.	R.	-5543.08	14677.92	14677.91
				-0.01

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष "3602"
संघ राज्य क्षेत्र
की सरकारों
को सहायता अनुदान

Head
Major Head "3602"
Grants-in-aid to Union
Territory Governments

मू.	O.	701.00	423.31	423.30	-0.01
पु.	R.	-277.69			

(I) 872.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से अकेले 750.00 लाख रु. स्कीम के सांविधानिक पहलू पर विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान-प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान - कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.872.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.750.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Elementary Education- Other Grants- Kasturba Gandhi Swatantra Vidyalaya"- due to non-receipt of the approval of the Ministry of Law and Justice on the constitutional aspect of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग" के अंतर्गत 207.68 लाख रु. की बचत (2470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय उपस्कर एवं बैठकें आयोजित किए जाने आदि पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251"- "Secretariat- Department of Elementary Education and Literacy"- saving of Rs.207.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2470.00 lakhs) was due to less expenditure on office equipment and organisation meeting etc.

(III) मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head "2202"- "Elementary Education"- savings occurred under the following heads:-

(का) "शिक्षक प्रशिक्षण"-

(A) "Teachers Training"-

(क) "शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण"- 787.87 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्यापक शिक्षा संसाधन समूह से संबंधित कार्यकलापों के धीमी गति से होने के कारण हुई।

(a) "Strengthening of Teachers Training Institutions"- saving of Rs.787.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to slow pace in activities for Teacher Education Resource Group.

(ख) "राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद"- 160.43 लाख रु. की बचत (625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान बढ़ी हुई फीस की प्राप्ति के समायोजन की वजह से संस्थान को कम निधि जारी किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Council for Teacher Education"- saving of Rs.160.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.625.00 lakhs) was due to release of less fund to the institution owing to adjustment of receipt of increased fee during the year.

(खा) “अन्य व्यय”-

(क) “राष्ट्रीय बाल भवन - राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन सोसायटी”- 210.34 लाख रु. की बचत (640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती वर्षों के अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) “महिला समाख्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान”- 1945.00 लाख रु. की बचत (2975.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला समाख्या स्कीम जारी रखे जाने और उसका विस्तार किए जाने का विलंब से अनुमोदन किए जाने के कारण हुई।

(ग) “जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम”- 40681.42 लाख रु. की बचत (119800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) धीमी गति से व्यय किए जाने, चरण I चरण II के बंद होने और सर्व शिक्षा अभियान की स्कीम से निधियां प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(घ) “संयुक्त भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र प्रणाली शिक्षा कार्यक्रम”- 405.98 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूएनडीपी के अंशदान में कमी आने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण” के अंतर्गत 4750.11 लाख रु. की बचत (19270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों से भावी योजनाओं की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3602” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण” के अंतर्गत 176.70 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कुछ भावी योजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) “Other Expenditure”-

(a) “National Bal Bhawan National Children’s Museum Bal Bhawan Society”- saving of Rs.210.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.640.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance of previous years.

(b) “Grants to Voluntary Organisations engaged in the implementation of the Programme of Mahila Samakhya”-saving of Rs.1945.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2975.00 lakhs) was due to late approval for the continuation and expansion of the Mahila Samakhya Scheme.

(c) “District Primary Education Programme”- saving of Rs.40681.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.119800.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure, closure of Phase I and II and funds provided from the scheme of Sarva Shiksha Abiyan.

(d) “Joint Government of Indian UN System Education Programme”- saving of Rs.405.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to reduction of UNDP’s contribution.

(IV) Under Major Head “3601”-“Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Elementary Education- Teachers Training-Strengthening of Teacher Training Institutions”- saving of Rs.4750.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19270.00 lakhs) was due to non-receipt of prospecting Plans from various State Governments as per new guidelines.

(V) Under Major Head “3602”-“Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Elementary Education- (Teachers Training)-Strengthening of Teacher Training Institutions”- saving of Rs.176.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-receipt of Cabinet approval for some prospective Plan from Union Territories.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विन्धोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (48607.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसम्बर, 2003 में मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय" के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 55000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "लोक जुम्बिश राजस्थान परियोजना" - 5500.00 लाख रु.।

(खा) "सर्व शिक्षा अभियान"- 43107.00 लाख रु.।
तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 43077.44 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.48607.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.55000.00 lakhs in December, 2003 under Major Head "2202"- "Elementary Education-Other Expenditure"-under the following heads:-

(A) "Lok Jumbish Rajasthan Project"- Rs.5500.00 lakhs.

(B) "Sarva Shiksha Abhiyan"- Rs.43107.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.43077.44 lakhs.